

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प माझावास

पीठासीन अधिकारी- राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 29/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. मांगु पिता दलीचन्द जाट निवासी माझावास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकरलाल पिता मियाराम जाट निवासी माझावास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
2. भैरूलाल पिता किशनलाल जाट निवासी माझावास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
3. कजोड़ पिता प्रथा कुम्हार निवासी माझावास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
4. बद्रीलाल पिता लेहरू निवासी माझावास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
5. देवीलाल पिता जवाहरमल निवासी माझावास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:-29.05.2018

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम माझावास पटवार क्षेत्र माझावास, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा में राजस्व खाता संख्या 474 पर आराजी संख्या 742 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 743 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 744 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 854 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 868 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 869 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 2724/855 रकबा 0.57 है0, कुल किता 7 रकबा 1.67 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया जिनमें से विपक्षीगण संख्या 1, 4 व 5 उपस्थित जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने में सहमति व्यक्त की। विपक्षी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस की गई।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम माझावास पटवार क्षेत्र माझावास, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा में राजस्व खाता संख्या 474 पर आराजी संख्या 742 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 743 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 744 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 854 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 868 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 869 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 2724/855 रकबा 0.57 है0, कुल किता 7 रकबा 1.67 है0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 600/- (छः सौ रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 600/- (छः सौ रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प माझावास में सुनाया गया।



(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाडा)
सहाड़ा जिला भीलवाडा